	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 14, बुधवार, *शाके* 1942–फरवरी 3, 2021 *Magha 14, Wednesday, Saka 1942- February 3, 2021*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कार्यालय उपखंड अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) भीनमाल जिला जालोर

प्रारम्भिक अधिसूचना

रिवाईज्ड शुद्धि अधिसूचना

जालोर, अगस्त 10, 2020

संख्या राजस्व /अवाप्ति/20/340 :-भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारर्दशिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि भीनमाल -पाथेड़ी-पोषाणा-जीवाणा (एस. एच. -31 ए) को ई. पी. सी. मोड के अंतर्गत विकसित किए जाने हेतु लोक प्रयोजन के लिए जालोर जिले के भीनमाल तहसील के कुल रकबा 2.3070 हेक्टयर भूमि की आवशयकता है ।

सामाजिक समाधान निर्धारण इकाई द्वारा राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारर्दशिता का अधिकारनियम 2016 के विहिप प्रक्रिया अनुसार सामाजिक समाधान निर्धारण की रिपोर्ट परस्तुत की गई है ।

अत: उपरोक्त परियोजना के लिए तहसील भीनमाल जिला जालोर स्थित 2.3070हेक्टयर भूमि अधिसूचित की जाती है प्रस्तावित भूमि अर्जन का विवरण निम्नलिखित है:-

अनुसूची

भीनमाल –पाथेड़ी -पोषाणा-जीवाणा (एस. एच. -31 ए) राज्य राजमार्ग परियोजना हेतु भूमिअवाप्ति की धारा-11, भीनमाल तहसील, भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल, जिला जालोर मे प्रभावित खसरो की सूची

क्र. सं.	गाँव का नाम	तहसील	सर्वेक्षण संख्या खसरा न	सम्पूर्ण क्षेत्रफल (है. मे)	भूमि का प्रकार	प्रभावित क्षेत्रफल (है. मे)	भूमि की प्रक्रति	भूमि स्वामी
1	कुशलापुरा	भीनमाल	1176/1	0.80	गै. मु. आबादी	0.211	सरकारी	राजस्थान सरकार (ग्राम पंचायत नरता के नाम दर्ज
2	कुशलापुरा	भीनमाल	1223	1.7800	गै. मु. गोचर	0.840	सरकारी	राजस्थान सरकार (ग्राम पंचायत नरता हिस्सा-पूर्ण संस्था के लिए
3	कुशलापुरा	भीनमाल	1224	2.3200	गै. मु. नाड़ी	0.090	सरकारी	राजस्थान सरकार
4	कुशलापुरा	भीनमाल	1346	1.4000	गै. मु.	0..0160	सरकारी	राजस्थान सरकार (ग्राम

					गोचर			पंचायत नरता हिस्सा-पूर्ण संस्था के लिए
5	कुशलापुरा	भीनमाल	1347	0.6000	गै. मु. रास्ता	0.011	सरकारी	राजस्थान सरकार
6	कुशलापुरा	भीनमाल	1376	0..04	गै. मु. रास्ता	0.010	सरकारी	राजस्थान सरकार (ग्राम पंचायत नरता हिस्सा-पूर्ण सहयोग के लिए
7	कुशलापुरा	भीनमाल	1377	0..3300	गै. मु. रास्ता	0.003	सरकारी	राजस्थान सरकार
8	कुशलापुरा	भीनमाल	1598	0.15	गै. मु. आबादी	0.0850	सरकारी	राजस्थान सरकार (ग्राम पंचायत नरता हिस्सा-पूर्ण सहयोग के लिए
9	कुशलापुरा	भीनमाल	1432	6.7500	गै. मु. आबादी	0.075	सरकारी	राजस्थान सरकार (ग्राम पंचायत नरता हिस्सा-पूर्ण संस्था के लिए
10	भागल सेफ्टा	भीनमाल	121	0.32	गै. मु. नाड़ी	0..1030	सरकारी	राजस्थान सरकार (जलमग्न चारागाह हेतु)
11	भागल सेफ्टा	भीनमाल	185	0.30	गै. मु. गोचर	0.0380	सरकारी	राजस्थान सरकार (ग्राम पंचायत भागल सेफ्टा के नाम दर्ज)
12	भागल सेफ्टा	भीनमाल	186	0.70	गै. मु. गोचर	0.0340	सरकारी	राजस्थान सरकार (ग्राम पंचायत भागल सेफ्टा के नाम दर्ज)
13	भागल सेफ्टा	भीनमाल	187	40.16	बारानी दोयम	0..0430	सरकारी	राजस्थान सरकार (ग्राम पंचायत भागल सेफ्टा के नाम दर्ज)
14	भागल सेफ्टा	भीनमाल	570	34.06	गै. मु. नदी	0.737	सरकारी	राजस्थान सरकार (नदियों तथा नाला, चारागाह हेतु)
15	भागल सेफ्टा	भीनमाल	974	1.67	बारानी दोयम	0..011	सरकारी	राजस्थान सरकार (ग्राम पंचायत भागल सेफ्टा के नाम दर्ज)

भूमि योजना का निरीक्षण भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल के कार्यालय मे किसी कार्य दिवस को कार्यालय समय मे किया जा सकेगा ।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारर्दशिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा शक्तियो का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार परियोजना निदेशक (पीपीपी) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जालोर एव उनके, अवमुद्रा के भीतर खोदने या बेधन करने तथा वह समस्त कार्य जो धारा 12 मे वर्णित है को करने के लिए अधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति अधिसूचित भूमि के क्रय/विक्रय संबंधी कार्य इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात बिना उपखंड अधिकारी पूर्वानुमति के नहीं करेगा ।

इस अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिवस मे यदि किसी हितबदद पक्षकर को भूमि अर्जन को लेकर कोई आपप्ति है तो अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत आपति उपखंड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।